न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 36/2026 तारीख दायर – 23/2/2026

भंवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामप्रसाद जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. गोपाल पुत्र भागूता जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. धर्मराज पुत्र रामकिशन जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. कुलदीप सिंह पुत्र नारायण जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

दिनांक – 16/3/2026

:–आदेश:–

प्रार्थनापत्र गंगा पत्नि प्रभु ने जरिये अभिभाशक **श्री मनीष धाकड़, एडवोकट** प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि **भूमि मौजा उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 166 आराजी नंबर 304 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद में शापथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 जमाबंदी 2077 का अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजियात की खातेदार काश्तकार है। पडोसियान के विवाद के बाबत् शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **भूमि मौजा उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 166 आराजी नंबर 304 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एंव पत्थरगढी शुल्क राशि 100/—रूपये राजकोश मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियॉ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला—भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 36/2026 तारीख दायर – 23/2/2026

तारीख फैसला – 16/3/2026

प्रेशिति:–

तहसीलदार

बिजौलियॉ

विषय :–प्रकरण संख्या 36/2026 पत्थरगढी बाबत्।

भंवरसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भटखेडी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रामप्रसाद जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. गोपाल पुत्र भागूता जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. धर्मराज पुत्र रामकिशन जाति तेली उम्र वयस्क निवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. कुलदीप सिंह पुत्र नारायण जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)

–विपक्षीगण

उपर्युक्त विशयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **भूमि मौजा उन्द्रो का खेडा पटवार हल्का माल का खेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 166 आराजी नंबर 304 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियॉकलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मैके पर प्रार्थीगण अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलिया